दिनांक 28.11.2018

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त श्री एस0 के0 सुंदरानी ने शासन के आदेशानुसार निष्ठा एप में सभी अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने की अनिवार्यता रखी गई है जिसके आधार पर निगम भिलाई के समस्त अधिकारी, कर्मचारियो के द्वारा अपने मोबाइल पर निष्ठा एप डाउनलोड कर उपस्थिति दर्ज किया जा रहा है। किन्तु कुछ तकनीकी कारणों से उपस्थिति दर्ज होने के बाद भी ईरर आ रहा है। जिसकी जानकारी निगम आयुक्त से चर्चा कर अधिकारी, कर्मचारियो के द्वारा अवगत कराया गया है।

आयुक्त महोदय के अनुमति के उपरान्त ही एक्ससेप्शन क्लियर किया जा रहा है। निगम के अधिकारी, कर्मचारियो को समय पर वेतन भुगतान हो सके इसलिए इस कार्य के लिए श्री ए0के0 द्विवेदी उपायुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69 (4) में निहित शक्तियों के तहत् अधिकृत किया गया है उक्त आदेश निगम आयुक्त श्री एस के सुदंरानी ने प्रसारित किया है।

जनसम्पर्क अधिकारी